

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नज़फगढ़(समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उनका संबंध डेसर के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नज़फगढ़ में डेसर(समूह-ग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नज़फगढ़, नई दिल्ली, डेसर (समूह-ग) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहृता: वह व्यक्ति-**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अनुचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ड्रेसर	03(2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह'ग', अराजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/- रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणि: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले का पांची उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्ष्मीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएँ</p> <p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्युलेशन, (ii) रेड क्रॉम सोसाइटी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से प्रथम उपचार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, (iii) कम से कम 50 विस्तरों वाले किसी अस्पताल में डेसर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। 	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आशु और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्टन व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p> <p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p> <p>दो वर्ष।</p> <p>दो वर्ष।</p> <p>सीधी भर्ती द्वारा।</p>
--	---

टिप्पण 1: अहंताएँ अन्यथा सुअहित अन्यथियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव सबधी अहंताएँ अनुमूलित जातियों या अनुमूलित जनजातियों के अन्यथियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अन्यथियों के पर्याप्त मत्त्वा में उपलब्ध होने की समझावना नहीं है।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>लागू नहीं होता ।</p>
<p>(12)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि गमिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो नियमित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियंत्रक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानियंदशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उपनियंदेशक - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र - सदस्य ।